न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 587–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–1–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा प्रकरण क्रमांक 56/अ–6/2011–12.

1– शम्भूसिंह आत्मज तुलाराम
निवासी गोलगांव
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
2– दिनेश कुमार आत्मज रविशंकर
3– सुरेश कुमार आत्मज रविशंकर
क्र. 2 व 3 हाल निवासीगण वार्ड नं. 5
ठाकुर मोहल्ला सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजेश कुमार ठाकुर आत्मज स्व. गौरीशंकर
निवासी फ्लोर नं. 4 द्वितीय मंजिल
गुरू कृपा रेसीडेंसी, सुदर्शन नगर
पिम्पले गुरव पूना–61
2– महेशचन्द्र ठाकुर पिता स्व. गौरीशंकर
3– कु. चन्द्रप्रभा ठाकुर पुत्री स्व. गौरीशंकर
4– श्रीमती शशिवाला पत्नी सत्यप्रकाश
महेन्द्र पुत्री स्व. गौरीशंकर
निवासीगण ईदगाह मोहल्ला
गांधी नगर इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
5– दुर्गेश कुमार ठाकुर आत्मज गौरीशंकर ठाकुर
निवासी 30, कल्पना नगर पिपलानी
पेट्रोल पम्प के पास, भोपाल
6– महेश गोदपुत्र पिता स्व. रामशंकर खत्री
पता हाउसिंग बोर्ड कालोनी वार्ड नं. 9
गजानन्द मंदिर के सामने पुलगांव
मुकाम पोस्ट जुना पुलगांव वर्धा (महाराष्ट्र)
7– मधुसेठी पत्नी उदयप्रकाश सेठी पुत्री स्व. रविशंकर
निवासी दीक्षित हाउस गांधी नगर इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
8– विमला बाई सेठी पत्नी दिनेश कुमार सेठी
पुत्री रविशंकर ठाकुर
पता चाण्डूमल चौराहा, सराफा बाजार

बुरहानपुर जिला खण्डवा
9– कमलाबाई पुत्री रविशंकर ठाकुर
निवासी वार्ड क्र. 5 ठाकुर मोहल्ला
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
10– राधाबाई पुत्री स्व. रविशंकर ठाकुर
निवासी ग्राम गोलगांव वार्ड क्र. 5
ठाकुर मोहल्ला सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद
11– चन्द्रनिकेश ठाकुर आत्मज स्व. गौरीशंकर ठाकुर
निवासी मानवता नगर, इन्दौर
तहसील व जिला इन्दौर
12– म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

श्री वीरेन्द्र सोनी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा के समक्ष नायब तहसीलदार, सिवनी माला पारित आदेश दिनांक 12–5–2008 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 21–9–2012 को लगभग 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई, और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 56/अ–6/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–1–2014 को आदेश पारित कर आवेदकगण का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 31–8–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभय पक्ष सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंग, परन्तु उभय पक्ष की ओर से नियत समयावधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र के प्रावधानों को समझे बगैर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि अनावेदकगण की ओर से प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है । तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण सूचना उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए है, इसलिए जानकारी के दिनांक से उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है ।

(2) अनावेदकगण को आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 24–8–2012 को प्राप्त होने के उपरांत भी दिनांक 21–9–2012 को अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि अपील में पूर्व में ही विलम्ब हो चुका था, अतः उक्त अवधि के विलम्ब का कारण दर्शाना चाहिए था, जो नहीं दर्शाया गया है ।

(3) अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में दर्शाये गये पक्षकारों को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः इसी आधार पर अपील निरस्त किए जाने योग्य थी, परन्तु ऐसा नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण प्रकरण में अनावेदकगण पर सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई गई है, और तहसील न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश है, जिसमें समय–सीमा का बंधन नहीं है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । जहां तक आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का प्रश्न है,

इस संबंध में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि उषाबाई पूर्व में लाऔलाद फौत हो चुकी है, इसलिए उसे पक्षकार बनाये जाने जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का उक्त आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर